राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–।।।/ दिनांक :– 7.2.2013

आदेश संख्या 280/ 2012–13

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 10000/– प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे **उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा पर दिनांक 04.02.2013 से शुरू किये गये प्रशिक्षण हेतु प्रातः 9.30 बजे अपनी उपस्थिति अविलम्ब देवें।** प्रशिक्षण अवधि 13 सप्ताह की होगी तथा इस अवधि में उनको देय स्थाई पारिश्रमिक आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा । 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे–बेण्ड (2) 9300–34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे । उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी ।

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6
1.	7	301388	देवी सिंह राठौड पुत्र श्री बुलीदान सिंह	सामान्य	03.04.1990
2.	28	710058	भुवनेश्वर विजय पुत्र श्री शम्भुदयाल विजय	सामान्य	10.10.1978
3.	36	403056	रमाकान्त सारस्वत पुत्र श्री धनश्याम सारस्वत	सामान्य	19.03.1976
4.	56	710278	दीपक सिंह शेखावत पुत्र श्री राजू सिंह शेखावत	सामान्य	03.02.1988
5.	74	707485	राहुल चन्द्रोदय पुत्र श्री बलवन्त राय	एस सी	03.07.1982

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन है ।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-- पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें उक्त सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।

7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होगें इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी ।
10. उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
11. उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम–1963 के नियम–32 (2) के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में अनुबंध पत्र भरकर देना अनिवार्य होगा।
12. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियों एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जावेगी ।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें ।

संलग्नः– 1 अनुबन्ध पत्र

निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–।।।/ 8622 – 8632 दिनांक :– 7.2.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. शासन सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर ।
5. श्री.. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । **(रजिस्टर्ड)**
6. **उप निदेशक**, ह.च.मा. **राज. लोक प्रशासन संस्थान**, के0आर0 20, सिविल **लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा** को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध पत्र जो कि अभ्यर्थी को सीधे ही नियुक्ति आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र से प्रस्तुत उपस्थिति रिपोर्ट, के साथ संलग्न करके निदेशालय को प्रेषित करावें।
7. निजी सहायक, निदेशक ।
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु) ।
9. रक्षित/निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

New ja 30-01-2013

BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER

This bond is made on the _________ date of 2013 by _____________ Son of Shri _______________________ resident of ____________ appointed to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and _____________ Son of Shri ______________ resident of ______________ (First Surety); and ______________ Son of Shri _______________ resident of _________________ (Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in favour of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT.

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of _______ weeks.

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms.

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursurance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (I) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Prities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:
Witness (I)
Witness (II)
Signed by the First Surety
Witness (I)
Witness (II)
Signed by the Second Surety
Witness (I)
Witness (II)

Accepted
D.T.A